

15.12.2022 वकील गुर्गो उपरिधर। विद्यापी
 2 व 03 के वारिलार वकील उपरिधर।
 मूलवाद के शिदेषानुसार शेष विद्यापी के
 विकृत उक्तसमा कार्यवाही समुदाय में लाई
 धारी है। विवादित शरी की लक्षणात्मक
 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शारीर मिराल हो।
 वकील विद्यापी जवाब देना नहीं कर सके
 ही कह्य करनी चाहते हैं, जो विद्यापी
 (नंदा 2 व 3 के वारिलार का जवाब देना
 प्रिया जाता है। उक्तपत्र साधिवकताओं
 को सहज सुनी गई, जिससे सहज
 वकील गुर्गो ने निर्णय किया कि
 विवादित शरी कांपुष्पा स्वतन्त्र शरी
 में शरीरगत भी शरीर शरीर शरीर
 कांपुष्पा कांपुष्पा शरीर विद्यापी कांपुष्पा
 01 द्वारा जलन कांपुष्पा पर लक्षणात्मक
 शरीरगत कांपुष्पा शरीर शरीर शरीर
 इस विवादित शरी का कांपुष्पा करनी
 दिनांक 01 वकील शरी पर शरीर उक्त
 का शरीर कांपुष्पा शरीर शरीर शरीर
 विवादित शरी के शरीर में शरीर व
 शरीर में शरीरगत कर दिनांक 01
 उक्त शरीरगत के शरीर पर लक्षणात्मक
 दिनांक 01 गुर्गो शरी को शरीर पर
 कांपुष्पा - कांपुष्पा में शरीरगत करनी
 पर उक्त है शरीर विवादित शरी को
 शरीर की कर शरीर शरीर शरीर शरीर
 के शरीर में विद्यापी के विकृत शरीर व
 शरीर की शरीरगत कांपुष्पा शरीर का
 शरीरगत शरीरगत शरीरगत शरीरगत

Handwritten signature and initials in the right margin.

(शरीर शरीर)

तारीख
हुक्म

वकील-विद्यापी संख्या 02 व 03 के
 वारीसान ने दोबाने कहल तिरफत किदा
 कि विवादित झमे पर लगान जोड़ेया
 पायी हिया जात है, तो आपकी नहीं है
 हमने उम्मतत आवेकताओं की कहस सुनी
 और कहस पर मानर दिया तमा परावस
 पर उपलब्ध राज्य-वेकडे हैं तमा-लक
 रिपोर्ट का गामीला-पूर्वक कोवलोफ
 कल्याणपुर ने अपनी रिपोर्ट में लक
 संकेत दिया है, कि विवादित झमे के
 संख्या में जारी नामानकरण संख्या
 203 कले से संख्याकरी कोई की
 खलापक पर-तवेक नामानकरण के लगान
 नहीं पाया गया है और नामानकरण
 संख्या 203 कि आधार पर और
 गया के संख्या में तू नामानकरण
 पर कोई तरेकरी संकेत नहीं है,
 इतनेस्यत है कि विवादित झमे
 का संख्या वेकडे में संख्याकरी कले
 से इका है और इतने दवा विवादि
 झमे के राज्य-वेकडे व मौका-
 लिचरी में परकल ले जात है, तो
 जायी को इतने खनी की संभावना
 रहती है और परकालन के हक
 विवाद छेने से इका भी नहीं रिना
 जा सकता है केली तरत में
 जायी का अवेकत तरेकरी भोजन है

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) दालोतल

287/2021

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व त
अहकाम जो
की तामील में

गौहरवा ज़ागी का आवेदन - पत्रा स्वीकार
दिया बाबर ज़ागी के पक्ष में
विधानमंडल के विक्रम इल आदेश
का लखान आवेदन जारी किया जाता
है, कि ज़ागी रामपुरा तहसील कल्याणपुर
की क्षेत्र खतला नक्का 430/340
खसत 23.4636 हेक्टर ज़मी के
संबंध में राज्य रिपोर्ट व मोफे की
पश्चात्पति मूलावद के निर्माण तक बन्द
रखें।

आदेश कानून गमा।
व्यवस्था कानून कानून वगैरे
वास्तविक कानून लें।

सिवायक

सहायक कलक्टर
(S.O.O.) बालोत